

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक = 9 MAY 2014

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार/मांग के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति
1	122/06	श्रीमती आशा पारीक कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, यांत्रिक खण्ड-11, जयपुर	5/115, गांधीनगर (5-ए-10, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर परिवर्तन)	31.3.2021
2	146/06	श्री विजय कुमार लखेरा कनिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	GAD-V-T-1/49 (GAD-V-T-1/47 विद्याधर, जयपुर के स्थान पर परिवर्तन)	31.8.2035
3	10/2007	श्री कैलाश चन्द्र मीणा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जयपुर	5/179, गांधीनगर (पुराना नम्बर जी-949)	31.05.2038
4	11/2007	श्रीमती रश्मि सक्सेना कनिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्पाद उपखण्ड-तृतीय (उत्तर), पानीपेच, जयपुर	5/185, गांधीनगर (पुराना नम्बर जी-955)	30.11.2039
5	12/2007	श्री अशोक कुमार तिवाड़ी कनिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	5-ए-9, बहुमंजिला गांधीनगर	31.03.2026
6	13/2007	श्री गिरवर सिंह कनिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	5/121, गांधीनगर	01.05.2024
7	14/2007	श्री भुवन चन्द भट्ट कनिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	GAD-V-T-1/32 विद्याधर, जयपुर	31.03.2024
8	36/2011	श्री विजय प्रताप सिंह कनिष्ठ लिपिक गृह (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/151, गांधीनगर (5-ए-17, बहुमंजिला गांधीनगर से परिवर्तन)	31.1.2040
9	47/2011	श्री राधेश्याम शर्मा कनिष्ठ लिपिक विधि (पुस्तकालय) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5-ए-21, बहुमंजिला गांधीनगर	31.8.2024
10	51/2011	श्री लोकेन्द्र सिंह हडा कनिष्ठ लिपिक विधि विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5-सी-14, बहुमंजिला गांधीनगर	31.8.2042

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
10. क्रम संख्या 5, 9 व 10 पर अंकित आवंटियों से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेतर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(रश्मीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यांत्रिक खण्ड-II, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर।
8. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्पाद उपखण्ड-तृतीय (उत्तर), पानीपेच, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
13. सहायक प्रोग्रामर, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
17. क्रम संख्या 1, 2 व 8 पर अंकित आवंटियों को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
18. सम्बन्धित कर्मचारीगण
19. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।

रश्मीव
(मुन्नालाल शर्मा) 8/5/19
सहायक शासन सचिव